20रु. कोर्ट फ़ीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
5 रु. कोर्ट फ़ीस COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5
5 रु. कोर्ट फ़ीस COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(110)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (भोपाल)

पुनरीक्षण आवेदन क्रमांक................../2018

निगरानी- 6192/2018/रायसेन/भू० रा०

1. रमेश कुमार आत्मज श्री रामकिशन,आयु वयस्क
2. अशोक कुमार आत्मज श्री रामकिशन,आयु वयस्क
3. प्रदीप कुमार आत्मज श्री रामकिशन,आयु वयस्क

तीनों कृषक सराकिया निवासी–खनपुरा तहसील गौहरगंज
जिला–रायसेन

(280)

4. हीरालाल आत्मज श्री नारायण सिंह राजपूत,आयु वयस्क
कृषक निवासी–ग्राम सराकिया तहसील गौहरगंज
जिला–रायसेन।

बलदेव सिंह (मृत) वैध वारिसान
(5) कोमल सिंह, (6) जगदीश सिंह, (7) धनसिंह,
(8) चरण सिंह
पुत्रगण स्व.श्री बलदेव सिंह कृषक व निवासी–ग्राम सराकिया
तहसील गौहरगंज जिला–रायसेन (म.प्र.)
(9) अशोक कुमार आत्मज श्री बद्रीप्रसाद जैन आयु वयस्क
कृषक निवासी–ग्राम सराकिया तहसील गौहरगंज जिला–रायसेन
(10) ओमप्रकाश, (11) जसवंत, (12) बलवान सिंह
सभी पुत्रगण भवानी सिंह कृषक सराकिया ग्राम बैरसिया
तहसील गौहरगंज जिला–रायसेन ....आवेदकगण

बनाम

1. मेसर्स दावत फूड्स प्रा.लि.
द्वारा–एच.आर.मैनेजर पी.एल.यादव
सराकिया (मण्डीदीप) तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
2. मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम,भोपाल
द्वारा–महाप्रबंधक महोदय,
तवा काम्पलेक्स प्रथम तल विट्टन मार्केट,
ई–5,अरेरा कालोनी,भोपाल (म.प्र.)
3. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी,गौहरगंज जिला–रायसेन
4. म.प्र.शासन द्वारा–कलेक्टर महोदय,जिला रायसेन ....अनावेदकगण

निरन्तर......2

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदयजी,

न्यायालय आयुक्त महोदय,भोपाल संभाग-भोपाल के प्र.क्र.11/अपील/17-18 (रमेश कुमार एवं 11 अन्य विरुद्ध मेसर्स दावत फूड्स व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 26.06.2018 से दुखी होकर यह पुनरीक्षण आवेदन आदेश की पूर्ण जानकारी दिनांक 07.08.2018 से समय सीमा में माननीय न्यायालय के समक्ष समय सीमा में सादर प्रस्तुत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6192/2018/रायसेन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-1-2019	आवेदकगण की ओर से श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 (2)(ख) के अंतर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	